परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न कमांक 1298 द्वारा श्रीमती रेखा यादव, सदस्य वि.स.

अनुसूची – एक

(धारा 44 एवं 45 देखिए)

राजस्व अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया के नियम

समन का जारी किया जाना

1. प्रत्येक समन लिखित में दो प्रतियों में होगा और वह जारी करने-वाले अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह इस संबंध में सशक्त करे, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होगा और उसमें वह समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट होगा जब और जहाँ हाजिर होने के लिए अपेक्षित व्यक्ति समन किया गया है और यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि वह साक्ष्य देने के लिए अपेक्षित है या दस्तावेज पेश करने के लिए।

2. किसी पक्षकार को जारी किए जाने-वाले प्रत्येक समन के साथ कार्यवाहियों की विषयवस्तु के बारे में एक संक्षिप्त कथन होगा।

3. दस्तावेज पेश करने का समन ऐसी दस्तावेजों को या इस प्रकार की उन समस्त दस्तावेजों को पेश करने के लिए हो सकेगा जो विनिर्दिष्ट की जाएँ और जो समन किए गए व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हों।

समन की तामील का ढंग

4. प्रत्येक समन की तामील, उसकी एक प्रति समन किए गए व्यक्ति को व्यक्तिशः या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को निविदत्त या परिदत्त करके की जाएगी।

टिप्पणी

आदेशिका तामीलकर्ता द्वारा समन की तामील किए जाने का विनिर्दिष्टतः प्रत्याख्यान किए जाने की दशा में तामील प्रभावी नहीं है।[1]

5. जहाँ समन किया गया व्यक्ति नहीं पाया जा सके और उसका कोई मान्यताप्राप्त अभिकर्ता न हो, वहाँ तामील समन किए गए व्यक्ति के कुटुंब के ऐसे किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है।

स्पष्टीकरण – इस नियम के अर्थ के अंतर्गत सेवक कुटुंब का सदस्य नहीं है।

टिप्पणी

यदि तामील ऐसे पुत्र पर की जाए जो पिता से अलग रहता है, तब तामील वैध नहीं है।[2] यदि पुत्र पर तामील की गई हो और उसके वयस्क होने का प्रमाण नहीं है, तब तामील अवैध है।[3] महिला पर की गई तामील विधिमान्य नहीं है।[4]

6. जहाँ तामील करने-वाला अधिकारी समन की प्रति समन किए गए व्यक्ति को स्वयं या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त या निविदत्त करता है, वहाँ जिस व्यक्ति को प्रति परिदत्त या निविदत्त की गई है, उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समन पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करें।

---

१. गप्पूलाल मीना वि. गजानंद, 2001 रा नि 136 (उच्च. न्या.)।
२. भैयालाल वि. ददईसिंह, 1985 रा नि 335।
३. ढालूराम वि. म.प्र. शासन, 1985 रा नि 261।
४. मटरू वि. भोपालसिंह, 1996 रा नि 237।

अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय

टिप्पणी

कोटवार तामील करने के लिए सक्षम नहीं है।[1]

7. यदि समन की तामील नियम 4, 5 और 6 में उपबंधित रीति में नहीं की जा सकती है, तो उसकी एक प्रति समन किए गए व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर या ऐसे ग्राम के किसी लोक समागम के स्थान पर लगाई जाना चाहिए।

टिप्पणी

समन की तामील चिपका कर की जा सकेगी। तामील यदि राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा के बिन की गई है, तब तामील अविधिमान्य होगी।[2] नियम 4 तथा 5 के अधीन प्रयास किए बिना, लगाई जा कर तामील विधिमान्य नहीं है।[3]

8. जहाँ समन की प्रति नियम 7 में उपबंधित किए अनुसार लगा दी जाती है, वहाँ तामील करने वाला अधिकारी उस समन की मूल प्रति उस न्यायालय को जिसने कि वह समन जारी किया था उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ लौटाएगा जिसमें वह कथित होगा कि उसने वह प्रति लगा दी है और वे परिस्थितियाँ, जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और उस व्यक्ति का नाम तथा पता कथित होगा जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी और जहाँ वह प्रति समन किए गए व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर लगाई गई हो, वहाँ रिपोर्ट में उस व्यक्ति का, यदि कोई हो, नाम और पता भी दिया होगा जिसने कि गृह पहचाना था।

9. यदि समन किया गया व्यक्ति किसी अन्य जिले में निवास करता है, तो समन तामिल के लिए ऐसे जिले के कलेक्टर को डाक द्वारा भेजा जा सकेगा।

समन के अनुपालन का ढंग

10. इस संहिता के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति, जो साक्ष्य देने के लिए किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है, ऐसे समय तथा स्थान पर हाजिर होगा जो समन में उस प्रयोजन के लिए बतलाया गया हो और दस्तावेज पेश करने के लिए समन किया गया कोई भी व्यक्ति ऐसे समय तथा स्थान पर वह दस्तावेज पेश करने के लिए हाजिर होगा या उसे पेश करवाएगा।

सूचना तामील करने का ढंग

11. प्रत्येक सूचना की तामील उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति को स्वयं या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को निविदित्त या परिदत्त कर के दी जाएगी:

परंतु जहाँ संबंधित व्यक्ति का मान्यताप्राप्त अभिकर्ता कोई प्लीडर हो, वहाँ सूचना की तामील उसकी एक प्रति उसके कार्यालय में उस स्थान पर जहाँ कि वह मामूली तौर से निवास करता है, छोड़ कर की जा सकेगी, और ऐसी तामील उसी प्रकार प्रभावी मानी जाएगी जैसी कि स्वयं मान्यताप्राप्त अभिकर्ता पर की गई तामील।

टिप्पणी

पक्षकार का अभिभाषक उसका मान्यताप्राप्त अभिकर्ता होता है, उस पर की गई तामील विधिमान्य है।[4]

12. जहाँ संबंधित व्यक्ति पाया नहीं जा सके और उसका कोई मान्यताप्राप्त अभिकर्ता न हो, वहाँ तामील संबंधित व्यक्ति के कुटुंब के किसी ऐसे वयस्क पुरूष सदस्य पर की जा सकेगी जो कि उसके स्थान निवास कर रहा है।

स्पष्टीकरण — इस नियम के अर्थ के अंतर्गत कुटुंब का सस्य नहीं है।

---

१. रामकुमार वि. कमलाप्रसाद, 1997 रा नि 360।
२. कमलसिंह वि. रामपालसिंह, 1993 रा नि 257।
३. सुशीलकुमार वि. म.प्र. राज्य, 1992 रा नि 365।
४. दीनबंधुलाल वि. म.प्र. राज्य, 1983 रा नि 267।

टिप्पणी

पक्षकार के ऐसे भाई पर की गई तामील, जो साथ नहीं रहता हो, अविधिमान्य है।[1]

13. जहाँ तामील करने-वाला अधिकारी सूचना की प्रति संबंधित व्यक्ति को स्वयं या किसी अभिकर्ता को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त या निविदत्त करता है, वहाँ जिस व्यक्ति को प्रति परिदत्त या निविदत्त की गई है, उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल सूचना पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करें।

14. यदि सूचना की तामील नियम 11, 12 और 13 में उपबंधित रीति में नहीं की जा सकती है, तो उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर या उस ग्राम के, जिसमें सूचना से संबंधित भूमि स्थित है या जहाँ से उस भूमि पर खेती की जाती है, लोक समागम के किसी स्थान पर लगाई जा सकेगी।

टिप्पणी

जब सूचना की तामील न्यायालय के सूचना पट आदि पर चिपका कर की गई हो, तब वह वैध नहीं होगी क्योंकि नियमों में उसके लिए उपबंध नहीं है।[2]

15. जहाँ सूचना की प्रति नियम 14 में उपबंधित किए अनुसार लगा दी जाती है, वहाँ तामील करने वाला अधिकारी उस सूचना की मूल प्रति, उस अधिकारी को जिसने कि उसे जारी किया था, उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ लौटाएगा जिसमें यह कथित होगा कि उसने उक्त प्रति को लगा दिया है, और वे परिस्थितियाँ, जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और उस व्यक्ति का नाम तथा पता कथित होगा जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी और जहाँ वह प्रति उस व्यक्ति के, जिसके कि लिए वह सूचना जारी की गई हो, अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर लगाई गई हो, रिपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम तथा पता भी दिया होगा जिसने कि गृह पहचाना था।

टिप्पणी

अ. चिपकाई जा कर तामील — मूलतः सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति पर सूचना की तामील नियम 11 के अनुसार व्यक्तिशः की जाना चाहिए। जब नियम 11 के अधीन तामील होना संभव नहीं हो, अर्थात् जब संबंधित व्यक्ति न मिल सकता हो या उसका कोई मान्यताप्राप्त अभिकर्ता न हो तब नियम 12 का अनुसरण करना चाहिए। जब नियम 11,12 तथा 13 के अनुसार तामील संभव न हो सभी सूचना निवास पर चिपकाई जा कर तामील की जा सकती है, अन्यथा नहीं।[3] उस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाना आवश्यक है।[4] चिपकाई जा कर तामील करने की दशा में नियम 15 का पालन अनिवार्य है। जब कोई व्यक्ति या किसी फर्म का भागीदार सूचना की तामील लेने से इंकार करे तब वह नियम 13 की अवहेलना करता है और नियम 14 के अनुसार उस दशा में भी सूचना चिपकाई जा कर तामील की जा सकती है।[5] परंतु इन परिस्थितियों का नियम 15 के अनुसार सूचना पर लिखना आवश्यक होगा।

16. यदि वह व्यक्ति जिस पर सूचना तामील की जानी है किसी अन्य जिले में निवास करता है तो सूचना तामील के लिए ऐसे जिले के कलेक्टर को डाक द्वारा भेजी जा सकेगी।

उद्घोषणाएँ जारी करने का ढंग

17. जब कभी इस संहिता के अधीन कोई उद्घोषणा जारी की जाती है तो उसकी प्रतिलिपियाँ उसे जारी करने-वाले राजस्व अधिकारी के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर, उस तहसील के जिसके भीतर उद्घोषणा से संबंधित भूमि स्थित है, मुख्यालय पर और उस उद्घोषणा से संबंधित भूमि पर के या उसके समीप के किसी लोक समागम के स्थान पर लगाई जाएगी और जब तक कि उसे जारी करने-वाला अधिकारी अन्यथा निदेश न दे, उपर्युक्त के अतिरिक्त वह उद्घोषणा उस भूमि पर या उसके निकट डोंडी पिटवा कर प्रकाशित की जाएगी जिससे कि वह उद्घोषणा संबंधित है।

---

१. रामप्रसाद वि. म.प्र. राज्य, 1988 रा नि 91।
२. मोतीराम वि. रामसिंह, 1983 रा नि 417।
३. मिट्ठूखां वि. मुस्तफाखां, 1986 रा नि 19।
४. श्यामलाल वि. रामलाल, 1994 रा नि 265।
५. सियाल सोप स्टोन फैक्ट्री वि म.प्र. राज्य, 1977 रा नि 350=1977 जे एल जे 727 (उच्चतम न्या.)।

अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय